

संख्या : 546/1-10-2012-4(1)/2002

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू
राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2012

विषय: दिनांक 28/29 मार्च, 1999 की रात्रि में जनपद चमोली व रुद्रप्रयाग में
आये भूकम्प के दौरान आपूर्ति की गयी सामग्री की क्षतिपूर्ति के भुगतान के
सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 28/29 मार्च, 1999 की रात्रि में जनपद चमोली व रुद्रप्रयाग में आये भूकम्प के फलस्वरूप मेसर्स चन्द्रभान दाऊदयाल, आगरा द्वारा सामग्री ई०पी० टेन्ट 154, छोलदारी 966, कनात 460 तथा मेसर्स गिरधारी लाल केदार नाथ सिंघल, आगरा द्वारा सामग्री ई०पी० टेन्ट 13, छोलदारी 462 की आपूर्ति प्रतिमाह की दर से की गयी थी परन्तु यह सामग्री, (निस्प्रयोज्य सामग्री को छोड़कर) न लौटा पाने के कारण उसकी कीमत भी क्षतिपूर्ति के रूप में मेसर्स चन्द्रभान दाऊदयाल, आगरा को मासिक किराये का बीस गुना रू० 66,79,920/- (रूपये छियासठ लाख उन्यासी हजार नौ सौ बीस मात्र) तथा इस धनराशि पर दिनांक 07.04.1999 से दिनांक 08.08.2012 तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रू० 53,45,857/- (रूपये तिरपन लाख पैतालिस हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) अर्थात् कुल रू० 1,20,25,777/- (रूपये एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार सात सौ सतहत्तर मात्र) तथा मेसर्स गिरधारी लाल केदार नाथ सिंघल, आगरा को मासिक किराये का बीस गुना रू० 22,83,840/- (रूपये बाइस लाख तिरासी हजार आठ सौ चालिस मात्र) तथा इस धनराशि पर दिनांक 07.04.1999 से दिनांक 08.08.2012 तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रू० 18,27,728/- (रूपये अट्ठारह लाख सत्ताइस हजार सात सौ अट्ठाइस मात्र) कुल रू० 41,11,568/- (रूपये इकतालिस लाख ग्यारह हजार पाँच सौ अड़सठ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 1,61,37,346/- (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख सैंतीस हजार तीन सौ छियालिस मात्र) के भुगतान पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त धनराशि आपको आहरण करने एवं भुगतान किये जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- मेसर्स चन्द्रभान दाऊदयाल, आगरा एवं मेसर्स गिरधारी लाल केदार नाथ सिंघल, आगरा से उक्त धनराशि भुगतान से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाये कि वे भविष्य में इस प्रकरण में अन्य किसी धनराशि का दावा नहीं करेंगे। शपथ-पत्र को सत्यापित फोटो प्रति शासन को तत्काल प्रेषित की जाय।

4- कृपया भुगतान की जाने वाली धनराशि महालेखाकार कार्यालय के सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय तथा जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा भी रखा जाय। ब्याज की धनराशि शुद्ध रूप से आकलित कर ली जाय। यदि बचतें सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दी जाय।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
राहत आयुक्त।

संख्या 546 (1)1-10-2012-4(1)/2002, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2-मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-7254/02 मेसर्स चन्द्रभान दाऊदयाल, आगरा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 22.02.2005 एवं रिट याचिका संख्या-20323/2002 मेसर्स गिरधारी लाल केदार नाथ सिंघल, आगरा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2007 के अनुपालन में मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में मा० न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराने तथा अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 3-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को विषयगत मामले में मा० मंत्रि परिषद के लिए तैयार की गयी टिप्पणी एवं इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की छायाप्रति सहित सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
- 5-प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
- 6-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को विषयगत मामले में मा० मंत्रि परिषद के लिए तैयार की गयी टिप्पणी एवं इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय एवं उत्तर प्रदेश

पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा की गयी अपेक्षानुसार धनराशि का समायोजन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-55 के अन्तर्गत कराते हुए राजस्व विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

7-मण्डलायुक्त, आगरा।

8-सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग।

9-जिलाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।

10-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

11-मुख्य कोषाधिकारी आगरा।

12-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5।

13-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

14-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

15-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(*Ram*)
(राम चन्द्र)

विशेष सचिव।